

05.07.2023 -

3

पत्रावली पैश हुई। उभयपक्ष अनुपरिथत। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।

अतः वादी का वादपत्र, वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

*[Handwritten signature]*

श्री. 0.9 अदालत के अधीन वादी व अधिवक्ता के बीच वादपत्रों के अन्तर्गत वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।

श्री. 0.9 अदालत के अधीन वादी व अधिवक्ता के बीच वादपत्रों के अन्तर्गत वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।

श्री. 0.9 अदालत के अधीन वादी व अधिवक्ता के बीच वादपत्रों के अन्तर्गत वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।